संख्या-16/2021/222/12-5-2021-ब०-4/2020

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 10 मार्च, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रशि०/321/पुनर्विनियोग/2020-21, दिनांक 15.02.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय के मानक मद 02- मजदूरी में रू० 3.85 लाख, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू० 2.24 लाख, अर्थात् कुल रू० 6.09 लाख (रू० छः लाख नौ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के मानक मद 01 वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के मानक मद 02- मजदूरी में रू० 3.85 लाख, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 16(1)/2021/222(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी(एफ)-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-156)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व नीचे दिये अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी(एफ)-09

वित्तीय वर्ष 2020-2021

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित शीर्षों के उपलब्ध संकलन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (16 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2415 01 277 03 00 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय					
01-वेतन	598.22	6.09	6.09	6.09	592.13
योग	**598.22**	**6.09**	**6.09**	6.09	592.13

निम्नलिखित शीर्षों से उपलब्ध संकलन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (16 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्राक्कलित कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकलन की धनराशि	संकलन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2415 01 277 03 00 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय					
02-मजदूरी	2.00	5.85	3.85	3.85	5.85
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	2.24	2.24	2.24	2.24
योग	**2.00**	**8.09**	**6.09**	6.09	8.09

(रू0 छः लाख नौ हजार मात्र)

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-
(अ) वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-
(ब) कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन एरियर एवं मजदूरी व्यय के भुगतान हेतु आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरए(ए)-431/ई-1-2021-2021, दिनांक: 24/02/2021

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

23/2/2021
(फूलचन्द यादव)
अनुसचिव,
वित्त विभाग

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–222/12–5–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/अतिरिक्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (वी0ई0ए0-9 तीन प्रतियों में)
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।